>

Title: Further discussion on the Provision of Social Security to Senior Citizens Bill, 2010 (Bill withdrawn).

-

MR. CHAIRMAN: Now we take up further consideration of Item No. 35. Shri Arjun Ram Meghwal will continue his speech.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, पिछले सत्र में सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटिजन, 2012 विधेयक श्री जे.पी. अग्रवाल द्वारा लाया गया था, मैं इस संबंध में बोल रहा था। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि भौतिकवादी युग के कारण हम देखने लग गए कि हमारे मां-बाप हमारे लिए किसी काम के हैं या नहीं। और यह जो मैटिरियलिस्टिक अप्रोच हुई है, उसके कारण ही सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ हुई है। मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि कोई आदमी अधिकारी बन गया था और जब किसी ने उससे पूछा कि तुम कैसे बने तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत से बना। उसने कहा कि इसमें तुम्हारे मां-बाप ने भी मदद की है तो उसने कहा कि नहीं, इसमें हमारे मां-बाप ने कोई मदद नहीं की है। मैं यह इसलिए सुनाना चाह रहा था, मैंने उस अधिकारी को बोला कि जब तुम पांच साल के थे और तुम्हें स्कूल जाना था या तुम्हें खेत का काम करना था, मजदूरी करनी थी, ये सोच उस समय तुम्हारे अंदर विकसित नहीं हुई थी तो उस समय स्कूल में भेजने का काम तुम्हारे मां-बाप ने किया था, जिसके कारण तुम पढ़-लिखकर आज इतने बड़े अधिकारी बने, इसलिए मां-बाप के फर्ज को भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति महान थी, इसलिए मां-बाप के फर्ज को बहुत ऊंचा फर्ज माना गया। इसलिए सरकार ने ज्यादा इंटरवेन्शन नहीं किया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देश आजाद हो गया, उसके बाद हम भौतिकवादी युग में जीने लग गये। अन्य देशों में सीनियर सिटीजन्स को रखने की प्राब्लम थी, वहां की गवर्नमैन्ट ने इंटरवेन्शन करके ओल्ड एज होम बनाये, फ्री मैडिकल कैम्प लगाये, उनका यूज किया। लेकिन हमारे यहां जो मैनपावर है, जो साठ साल के आसपास हैं, हालांकि आज कुछ लाइफ एक्सपेन्टेन्सी भी बढ़ी है, लोग 70-80 साल तक जीने लग गये हैं। लेकिन जब उनकी दुर्दशा होती है तो समाज के लोग सोचते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार को भी कोई इंटरवेन्शन करना चाहिए। जब बच्चे मां-बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो यह पीड़ा हर किसी को होती है। लेकिन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को यह पीड़ा हुई और वह यह बिल लेकर आये। इसलिए मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि वह अपने मां-बाप को संभाल रहे होंगे या उन्होंने संभाला होगा। लेकिन अन्य लोग जो अपने मां-बाप को नहीं संभाल रहे हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में परोपकार की भावना कहते हैं, फिलेथ्रोपिक अप्रोच बोलते हैं. जिस पर जय प्रकाश अग्रवाल जी के कारण हम यहां चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश को यह बताना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड हो गये हैं वे अब किसी काम के नहीं रह गये हैं, ऐसा नहीं है। कभी हम कहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं हैं, बुजुर्ग हो गये हैं, अब भगवान भजन करो, खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ऐसे कई संकट उनके सामने आते हैं।

सभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक इंकम टैक्स विभाग में कमिश्नर थे। उन्होंने हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में छापा मारा। उन्हें पता चला कि नीचे भी कुछ है। जब वह नीचे गये तो वहां गोदाम मिला। उसमें दो बूढ़े और बूढ़ी थे, जो उनके पैरेन्ट्स थे। वह बहुत बड़ा आदमी था, जिस पर रेड पड़ी, वह जैम्स और ज्वैलरी का काम करता था। उसके दोनों पैरेन्ट्स अंडरग्राउंड में रह रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप यहां कितने दिनों से रह रहे हो तो वे बोले कि हमें यहां 20-25 दिन हो गये। उन्होंने पूछा खाना कैसे खाते हो तो वे बोले कि ये जो सूखी रोटियां हैं, उनसे ही हम काम चलाते हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी यह हालत है। वे बोले कि हां, हमारी यही हालत है। आप मानेंगे नहीं, उस कमिश्नर ने बाद में जयपुर में एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनवाया। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे काम करते-करते भी लोगों में प्रेरणा आती है और उन्हें लगता है कि हम किस तरह की सामाजिक रचना करने जा रहे हैं। यह जो बिल प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्युरिटी टू सीनियर सिटीजन्स आया है, इसमें इन्होंने सरकार से सात सौ करोड़ रुपये मांगे हैं। इन्होंने जो फाइनेंशियल एलोकेशन मांगा है, वह सात सौ करोड़ रुपये है और सात सौ करोड़ रुपये में विशेष रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि Free medical and other health care facilities in the Government and private hospitals including reimbursement of the amount spent on medicine. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उन्हें रिटायर होने के बाद मैडिकल एड मिलती है, लेकिन बहुत से हास्पिटल उसके पैनल में नहीं होते। मेरा यह कहना है कि उनका प्राइवेट हास्पिटल से भी इलाज हो। यह उन्होंने सारे सीनियर सिटीजन्स को कहा है, चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो या नागरिक हो, उन्होंने सबके लिए कहा है। लेकिन उनकी एज निश्चित होनी चाहिए। मैं इसमें यह जोड़ना चाह रहा हूं कि रेलवे और कुछ पीएसयूज 58 साल के लोगों को सीनियर सिटीजन्स मानते हैं। कुछ लोग 60 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं। कुछ लोग 65 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं। विजय बहादुर सिंह जी बैठे हैं, जज तो 70 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं, वे 70 साल तक रिटायर ही नहीं होते हैं। सिनियर सिटिज़न की ऐज निर्धारित होनी चाहिए कि क्या ऐज है। रेलवे कहां से कंसेशन शुरू करेगा? बैंक कहां से इंट्रस्ट फ्री लोन देना शुरू करेगा? इनकम टैक्स की रिबेट सिनियर सिटिजन में कौन सी ऐज से शुरू होगी? ये ऐज निश्चित होनी चाहिए। यह एक बिंदु जो छूट गया था, मैं उसको कहना चाह रहा था। दूसरा मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इस बिल में मैंने सारा देखा है, इन्होंने सिंपोज़ियम, सेमिनार करने के लिए भी कहा है कि इसमें सिनियर सिटिज़न का उपयोग हो सकता है। मेरा इसमें यह कहना है कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या भौतिकवादी युग शुरू होने के कारण, करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं हुए हैं। हम स्कूलों में भी करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं देखते हैं। किसी ज़माने में बाल सभा होती थी, पढ़ाया जाता था, लेकिन आज कल करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं। हमारे पास सिनियर सिटिज़न की इतनी बड़ी फौज़ है। जो 60-70 साल के हैं, जो हैल्दी हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको चरित्र निर्माण के कार्यक्रम में लगा दें, योगा और प्राणायाम के कार्य में लगा दें, सिंपोज़ियम, सेमिनार और कॉफ्रेंस आदि करें। अगर सरकार उनको कुछ टी.ए. और डी.ए. दे दे तो वे फ्री पढ़ाएंगे। ऐसे सैंग्रिगेशन करना पड़ेगा। हर सीनियर सिटिज़न तो नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन कुछ सिनियर सिटिज़न हैं, जो पढ़ा सकते हैं। श्री विजय बहादुर सिंह इलाहबाद की एक कहानी भी सुना रहे थे कि इलाहबाद में एक कॉलोनी है, पुराने जमाने में जिसका नाम आई.सी.एस. कॉलोनी रख दिया था। आई.सी.एस. ऑफीसर्स रिटायर होने के बाद वहीं बसते थे। आई.सी.एस. ऑफीसर को रिटायर होने के बाद कोई संभालता नहीं था। बच्चे कहीं और चले गए तो वह अकेला रह गया। वह गेट पर खड़े-खड़े देखा करता था कि क्या कोई मुझ से मिलने आ रहा है। कोई नहीं आता था तो वह पागल हो गया था। आई.सी.एस. और उसको कोई मिलने नहीं आए, जैसे किसी नेता को टिकट नहीं मिले या वह हार जाए और उसके बाद उससे कोई मिलने नहीं आए तो वह पागल हो सकता है। उसको कोई न कोई काम मिलना चाहिए। उसकी क्या योग्यता है, उसके आधार पर सैंग्रिगेशन कर के उसको कोई न कोई काम मिलना चाहिए। कॉफ्रेंस, सैमिनार या चरित्र निर्माण की क्लासेज़ आदि में काम कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह देश युवाओं का देश कहलाता है। लेकिन युवाओं के साथ सिनियर सिटिज़न को नैगलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लगना चाहिए। युवाओं के पास जोश है और बुजुर्गों के पास होश है। इसलिए जोश और होश का समन्वय होगा तो यह देश आगे बढ़ेगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : I am to inform the hon. Members that two hours' time allotted for discussion on this Bill is over. As there are three more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion on this Bill.

Is it the pleasure of the House that time for discussion on the Bill be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Well, the time for discussion on the Bill is extended by one hour.

Now, Chaudhary Lal Singh.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यह बिल मेरे बड़े भाई साहब जे.पी. अग्रवाल साहब लाए हैं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, यह बड़ा ही इमोशनल बिल है। इस बिल की अहमियत बहुत बड़ी है। इसको समझने का मसला है। एक बुजुर्ग की इज्जत का सवाल है। एक बुजुर्ग की ऑनर और रिस्पेक्ट का सवाल है। आप सब जानते हैं कि जब आदमी जवान होता है, चाहे वह गवर्मेंट सर्विस में होता है, चाहे वह प्राइवेट सर्विस में हो, चाहे वह किसान होता है, चाहे वह लेबर होता है तो जवानी के दिनों में वह बड़े सुंदर तरीके से जिंदगी गुज़ारता है। वह बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुज़ारता है। मेरे कहने का मकसद है कि वही आदमी जब बूढ़ा होता है, अगर वह सरकारी नौकरी करता था, उसके लिए सरकार ने पेंशन रखी हुई है। सुनने में आ रहा है कि अब तो वह भी खत्म की जा रही है।

16.00 hrs

वह उस पेंशन से अपनी जिन्दगी गुजार सकता है और उसकी फैमिली भी उसका इंतजार करती है। उसको इकट्ठे पैसे मिलते हैं तो उसकी रेस्पेक्ट भी होती है। जो बुजुर्ग मजदूरी करता है, खेती-किसानी करता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो जनाब उस बुजुर्ग को, उन्हीं पैरेंट्स को, उन्हीं मां-बाप को उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में मां-बाप ऐसा शब्द है, जिसकी बहुत इज्जत और ऑनर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे मां-बाप हैं, हम समझ सकते हैं कि मां-बाप बच्चों के लिए कहां तक सोचते हैं। मां-बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाये। मेरा बच्चा मेरे से बड़ा ऑफिसर बने, मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे जाये। उसका भाई ऐसा नहीं कहता है, उसका अंकल या चाचा ऐसा नहीं कहता है, उसका रिश्तेदार ऐसा नहीं कहता है और भी रिश्ते होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि इसे आगे किया जाये। ऐसा केवल उसके मां-बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाये, मेरे से आगे बढ़े। जब वही मां-बाप उसे अच्छा बना देते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी मेरे घर पर दो बुजुर्ग आये। यह परसों की बात है। एक बुजुर्ग की उम्र 100 वर्ष थी, वह 100 वर्ष की उम्र को टच कर रहा था और उसके साथ एक महिला आयी थी और वह करीब 80 वर्ष की होगी। उन दोनों में से मैं एक को जानता था और दूसरे ने मुझे अपनी पहचान करायी। बुजुर्ग बहुत शान और शौकत में जीता था, लेकिन अब वह बुजुर्ग एक आश्रम में रहता है। वह एक महिला को लेकर आया था, उस महिला की बाजू टूटी थी और वह भी आश्रम में ही रहती थी। वह महिला मुझसे कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मां जी बताइये कि आप कौन हैं? महिला ने कहा कि जहां बसौली में आप एमएलए थे, मैं वहां ककरेडे की हूं, मैं हंसराज मास्टर की मां हूं। उसने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरी बाजू टूटी है, मुझे अपनी सलवार का नाड़ा बांधना है, कपड़े पहनने हैं, मेरी बाजू टूटी हुई है। आप सोचिये कि आश्रम में वह नहाये कैसे, वह वहां रहे कैसे? मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगा कि मैं उसके बेटे को पकड़कर अंदर करवाऊं कि तेरी मां उस जगह जलील और जिल्लत की जिन्दगी बसर कर रही है और तुझे पढ़ाने वाले तेरे मां-बाप हैं।

महोदय, जब मां-बाप को पूछने वाला बच्चा नहीं है, उसके घर का बच्चा उसे नहीं पूछना चाहता तो कई मां-बाप तो ऐसे हैं, जिनका कोई बच्चा ही नहीं है, उनके बच्चा हुआ ही नहीं। दोनों बुजुर्गों की पोजीशन बहुत बुरी है। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि उनकी बहुत बुरी हालत है। इसके बाद उनकी मदद करने के लिए कौन बचता है? यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बुजुर्ग इतनी इनसिक्योर जिन्दगी जी रहा है, सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। वह इतनी जिल्लत की जिन्दगी जी रहा है, वह कैसे जियेगा? जब वह हट्टा-कट्टा था तो सारे उसके पीछे भागते थे और जब वह कमजोर हो गया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं हैल्थ एवं एजुकेशन मिनिस्टर था, एक डॉक्टर मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे मां-बाप बुजुर्ग हैं। पहले मां-बाप उसे पढ़ाते हैं, उसे नौकरी कराते हैं, जब वे बूढ़े होते हैं, जब उनके बच्चे का ट्रांसफर कहीं और जगह पर हो जाता है तो वह क्या बोलता है। वह मिनिस्टर के पास, सरकार के पास जाकर बोलता है कि सर मेरे मां-बाप बूढ़े हैं और जनाब अगर मेरा ट्रांसफर हुआ तो वे मर जायेंगे तो मैंने कहा कि हां मैं जरूर तेरी ट्रांसफर करूंगा। सर, मेरी आदत थी, शाम को मैं उसका पता लेकर उसके घर पहुंच गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि उसके मां-बाप के नीचे जो बिस्तर था, टाट डाल रखा था और उसके ऊपर कपड़ा या कंबल की भी जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि वह मां-बाप के नाम पर ट्रांसफर रूकवाने के चक्कर में है, लेकिन मां-बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं है। मैंने तो उस डॉक्टर को कहां का कहां पहुंचाया, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि मां-बाप के नाम पर दरख्वास्त आती है, ऑफिस में लोगों की चिट्ठियां आती हैं, मां-बाप बीमार भी न हों तब भी उनमें बीमार लिखते हैं, अगर वे 70 साल के होते हैं तो उन्हें 90 साल का लिखते हैं, यह भी लिखते हैं कि उन्हें शुगर है, हाइपरटेंशन है, इन्हें यह-यह प्रॉब्लम है। यहां तक लिखते हैं कि ये पागल हैं, मेंटल हैं। माँ-बाप के नाम पर इतने बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इतनी ज़लील ज़िन्दगी उनकी हो गई है। हमारा कल्चर इतना गिर चुका है कि ऐसे समय में सरकारों को फैसले करने होंगे। अगर सरकारें फैसला नहीं करेंगी तो हालत नहीं सुधरेगी। सरकारों ने क्या फैसला किया कि पेंशन के रूप में 150 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 250 रुपये दे दो या पाँच सौ रुपये दे दो। मुझे बताइए कि जब आदमी बुजुर्ग होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वह बीमार भी होता है, कमज़ोर भी होता है। उसका कपड़ा कहाँ से आएगा 500 रुपये में या 200 रुपये में? उसकी दवाई कौन लेकर देगा? कौन देगा, कहाँ से देगा? कौन ज़िम्मेवार है उसका? कोई नहीं है। आप सभी पोलिटीशियन इस बात को जानते होंगे, आपके घरों में बुजुर्गों की भीड़ आती होगी, माताओं और बहनों की भीड़ आती होगी। हमारे बड़े-बड़े बुजुर्ग हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं तो हमें शर्म आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार साल तो मेरी स्टेट में हो गया लेकिन चार साल तक कोई पैंशन ही नहीं लगी। चार साल से नई पैंशन नहीं लगी। क्या कोई बुजुर्ग ही नहीं हुए! जो पहले बुजुर्ग थे, पैंशन की आस में थे लेकिन उनकी पैंशन नहीं हो पाई और वे मर भी गए। मुझे अफसोस है कि जवानी के दिनों में मैं हूँ या कोई और हो, सबका दिमाग आसमान पर होता है। बुजुर्गों का दिमाग घर-घर में ज़मीन चाट रहा है। वह बुजुर्ग कितनी ठाट-बाट वाला आदमी, कितनी पगड़ी पहनने वाला आदमी, आज कितनी ज़िल्लत की ज़िन्दगी जी रहा है, फटे कपड़ों और लिबास में घूम रहा है। वह औरत जो इतने अच्छे कपड़े पहना

करती थी, वही औरत आज इतनी फटी चप्पलें और फटे-चीथड़े पहने घूम रही है। आप कभी नोट करें कि वे सोते कहाँ हैं। मेजॉरिटी में बुज़ुर्गों का कोई बैडरूम नहीं होता, मेजॉरिटी में बुज़ुर्गों का सोने के लिए कोई कमरा नहीं होता। बुज़ुर्गों का सोने का कमरा क्या है - वरांडा होता है, वरांडा से बाहर भी होता है। कहते हैं कि खाँसता है, थूकता है, बोलता है, चीखता है, शाम को तंग करता है, सोने नहीं देता। यह शर्म की बात है। मैं जनाब को कहना चाहता हूँ कि सरकारें दम रखें, सरकारें चलानी हों तो समझ होनी चाहिए कि सोसाइटी कहाँ इनसिक्योर है। यहाँ सबसे बड़ी मिलिटैन्सी का शिकार तो इस देश के बुज़ुर्ग हो रहे हैं। सबसे ज़लील ज़िन्दगी वे बुज़ुर्ग जी रहे हैं।

महोदय, मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ कैसीनो ज़रूर देखना। मैं देखने गया। मैंने वहाँ कोई 80 वर्ष के, कोई 90 वर्ष के, कोई 85 वर्ष के बुज़ुर्ग औरतें और मर्द देखे। वे वॉकर और छड़ी के सहारे चल रहे हैं, गाड़ी पर चल रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं - वे जुआ खेल रहे हैं। ण्ड्ढनू ढ्ढद्वड्ढ ड्ढढद्र्त्दर्दशू ण्ड्ढ थ्ढड्ढ, और हमारा बुज़ुर्ग रोटी माँग रहा है। हमारा बुज़ुर्ग कपड़ा मांग रहा है और हमारा बुज़ुर्ग फटा-फटीचर घूम रहा है। शर्म है शर्म? दम है क्या, यह मैं कहना चाहता हूँ। यह बड़े अफसोस की बात है कि हम बुज़ुर्गों को पैंशन तक नहीं दे सके। मैं कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब ने बड़ा पुण्य किया है और कुछ लोगों ने इन बुज़ुर्गों का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की है। कहते हैं कि 200 रुपये ले लो। फाइल बनाई और बुज़ुर्ग सारा दिन उनकी पैंशन की फाइल बनाकर घूम रहा है। दफ्तर-दफ्तर घूम रहा है, पैंशन लो, पैंशन दो। मुझे कहते हैं कि चार साल हो गए मुझे पैंशन नहीं मिली, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा कुछ इंतज़ाम करो। चौधरी लाल सिंह कितने बुज़ुर्गों का इंतज़ाम कर पाएगा, क्या कर पाएगा? एक पोलिटीशियन है जो गरीबों और बुज़ुर्गों की सुनता है। ऑफिसर तो उसको कमरे से बाहर निकालता है कि बाहर निकालो, ये बूढ़ा बार-बार आ जाता है। वह बेचारा इसलिए आता है कि वह तकलीफ़ में है, चलो कुछ पैसे मिल जाएँ। मेरी जनाब से विनती है कि सरकार हिम्मत करे और बुज़ुर्ग को पैंशन दे, उसकी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करे। सरकार कम से कम एक बुज़ुर्ग को 2000 रुपये या 5000 रुपये प्रति महीने से कम की राशि न दे। बुज़ुर्गों के मामले में सरकार यह भी न देखे कि यह बीपीएल है या एपीएल है। बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग है, चाहे वह माँ है, बाप है, नाना है या दादा है। जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको गवर्नमैंट द्वारा बिना किसी कास्ट, कलर, क्रीड देखे और बिना एपीएल, बीपीएल के भेदभाव के पैंशन मिलनी चाहिए। कोई बुज़ुर्ग पैंशन ले या न ले, यह उसकी चॉइस है। लेकिन बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि क्या तुम बीपीएल हो? विडो को पूछते हैं कि तुम अभी चालीस वर्ष की नहीं हुई हो या पचास वर्ष की नहीं हुई हो। जब वह विधवा हो जाती है, दो या चार बच्चे उसकी गोद में हैं, तो उसके आगे क्या प्रश्न किया जाता है? क्या विधवा होने के बाद वह अमीर हो जाती है? उसका घर वाला चला गया, उसे बच्चे पालने हैं, वह कैसे बच्चों को पालेगी? मैं कल किसी की पेन्ची कर रहा था। मैं हैरान हूं, क्योंकि वह करोड़ोपति है। उसकी एक बहु है और पोता-पोती है। उनके लिए पैसे गिने जा रहे हैं कि देने कितने हैं? वह कह रही है कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो। बुज़ुर्गों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग बहुत फिलोसिफी मारते हैं। हम पॉलीटिशियन्स हैं, हमारी सरकार है। किसी की रीज़नल सरकार है तो किसी की केन्द्र में सरकार है। हम बहुत बड़े लोग यहां बैठे हैं। हम लोगों में इतना ब्रेन है, फिर भी हम बुज़ुर्गों को बाज़ार में घुमा रहे हैं। मेरी जनाब से विनती है कि इस पर फैसला होना चाहिए कि बुज़ुर्गों के लिए रोज़ी, रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसका अच्छे से जीवन निर्वाह होना चाहिए। उनके बच्चों को उनको अपने साथ रखना चाहिए। यह बड़े अफसोस की बात है कि बुज़ुर्ग अपने पोते-पोतियों को किस नहीं कर सकता है। वह अपने पोते-पोती को गले लगाने के लिए तरसता है। पोते-पोतियों को खिलाने के समय उसे आश्रम में बैठा देते हैं। वह रोता है, क्योंकि वह जीना चाहता है, वह उनसे मिलना चाहता है। क्या यह सैंन्सीबल है? इस सब को कौन रोकेगा? मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो बुज़ुर्गों के लिए जो काम करेगा, उसको दुनिया पूजेगी, उसकी रिसपैक्ट करेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो दुनिया कहेगी कि कई मंत्री आए और चले गए। ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो कुछ नहीं देते हैं। आपको ढपोरशंख नहीं बनना है। आप प्लान कीजिए और जो गलतियां हैं, उनको ठीक कीजिए और बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि यह बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है। यह सामयिक विषय इसलिए है क्योंकि जो संयुक्त परिवार था चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो या सिक्ख हो, वह आज टूट रहा है या टूट गया है। केवल गरीब ही नहीं अपितु सम्पन्न या खाते-पीते परिवार में भी बुज़ुर्गों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह गयी है और कोई जवाबदेही लेना भी नहीं चाहता है। श्रवण कुमार की संस्कृति खत्म हो गयी है। लोग कहते थे कि इनके बाल-बच्चे श्रवण कुमार हैं। आज वह श्रवण कुमार की संस्कृति समाज में नहीं है। इसलिए यह सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, यह जो बिल लाए हैं उसकी धारा 60 में सीनियर सिटीजन की परिभाषा दी है। इस पर अभी तक कोई उपयुक्त कानून नहीं बना है। भारत सरकार ने जो पेंशन योजना लागू की थी, उसकी आयु सीमा 65 वर्ष की थी। वृद्ध और वृद्धा के लिए 65 वर्ष की आयु में जब यह स्कीम लागू की गयी थी तो उसमें एक टारगेट था। इसलिए वह सभी को नहीं मिलती थी। इसमें टारगेट था और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। इस तरह से उसमें दो बंदिश थीं। यह सभी लोगों को नहीं मिलती थी। सरकार ने आयु सीमा को घटा कर 60 वर्ष कर दिया, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है कि सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या होगी? सरकार के जो कार्यपालक आदेश हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत यह चल रहा है कि 60 वर्ष की उम्र वालों को पेंशन मिलेगी। रेलवे भी यह मानता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हवाई जहाज़ में यह 65 वर्ष से नीचे नहीं है। सीनियर सिटीजन के मामले में इसमें एकरूपता नहीं है।

अग्रवाल साहब, जब आपने यह बिल बनाया तो इसमें इसका उल्लेख होना चाहिए था कि इसके लिए भी कोई कानून बने। सीनियर सिटीजन को आपने 60 वर्ष माना है, इसलिए कि सरकार ने पेंशन के लिए इसे 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है। देश में सीनियर सिटीजन के लिए जो विभिन्न विभाग और मंत्रालय हैं, उनमें इस पर एकरूपता नहीं है। दो साल पहले सरकार ने पेंशन को बढ़ाकर 100 रुपये से 200 रुपये और 200 रुपये से बढ़ाकर अब 300 रुपये कर दिया, और उम्र को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया। मैं 60 वर्ष को मान लेता हूं। अब टारगेट नहीं है। पहले टारगेट था कि गांव में कितने प्रतिशत ऐसे लोगों को पेंशन मिलेगी जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं। इसलिए उसमें दस प्रतिशत लोगों को या पन्द्रह प्रतिशत लोगों को पेंशन मिलती थी। इससे सारे लोगों को यह नहीं मिलता था, कुछ लोग छूट जाते थे। उसमें चयन होता था तो उसमें बहुत पक्षपात होता था। भारत सरकार ने अच्छा काम किया कि 65 वर्ष से 60 वर्ष कर दिया, और 200 रुपये से 300 रुपये कर दिया। जो लोग 80 वर्ष और उस से ऊपर हैं, उनके लिए 500 रुपये कर दिया। कई राज्य सरकारों को यह छूट है कि इस पेंशन में राज्य सरकार भी अपने राज्यांश देकर उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में यह करीब 600 रुपये मिलता है। इसका मतलब कि 300 रुपये से ज्यादा मिलता है। कुछ प्रदेशों में 400 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है, 600 रुपये मिलता है। लेकिन, जैसे हमारा प्रदेश है, उसमें भारत सरकार ने जो 300 रुपये पेंशन दिया है, वह 300 रुपये ही मिलता है। उसमें राज्य सरकार ने अपनी तरफ से वृद्धि नहीं की है। इस बिल में आपने पेंशन में राज्य सरकार की चर्चा की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चर्चा की है। लेकिन, जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें सभी राज्य सरकारों पर अपनी तरफ से जो जवाबदेही है, उसमें एकरूपता नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है, बहुत सारे राज्यों में यह ही मिलता है, बहुत सारे राज्यों में नहीं मिलता है। लेकिन, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है। जो परिवार संयुक्त था, वह टूट रहा है। बाप-बेटे में रिश्ता नहीं रह गया है क्योंकि जब बेटा इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर वह परिवार लेकर अलग हो जाता है। अगर वह मजदूर वर्ग है और शहर में रोज़गार करता है तो वहां पत्नी को ले आता है, बच्चे को ले आता है और उसका बाप अभी भी गांव में है।

हमने इसे देखा है। दो साल पहले हम एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव से घूमने के लिए जा रहे थे। जब लौटकर आए तो एक वृद्ध आदमी हमारी प्रतीक्षा में खड़ा था। यह वर्ष 2009 की घटना है। हमने देखा कि उसका हाथ टूट गया है। वह उसे बांधे हुए था। हमने पूछा कि क्या है तो उसने कहा कि मेरा हाथ टूट गया है, मुझे 200 रुपये पेंशन मिलता है और यह भी रेगुलर नहीं मिलता है, बराबर नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने कोई एक शृंखला या टाईम तय नहीं किया है कि पेंशन सैंक्शन करने, राज्य सरकार के पास जाने, और उसको डिस्बर्स करने का, उसके भुगतान का क्या सिस्टम होगा? इसमें कभी-कभी छः-छः महीने और कभी-कभी नौ-नौ महीने लगते हैं। कभी दो महीने का पेंशन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। इसलिए खाने-पीने की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि बेटा नहीं खिलाता है, परिवार नहीं खिलाता है। दवा के लिए डॉक्टर चाहिए तो इसकी व्यवस्था नहीं है।

मैं माननीय सदस्य महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बिल में सोशल सिक्यूरिटी को परिभाषित किया है, क्योंकि यह तो वेल्फेयर स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ-साथ यह लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार पंसारी की दूकान नहीं होती है कि घाटे और मुनाफे पर चलती रहे कि कहां कितना पैसा खर्च होगा। सरकार तय करती है कि समाज में जो अपंग हैं, जो निराश्रित हैं, और जो असुरक्षित हैं, ऐसे लोगों को हम सुरक्षा दें, ऐसे लोगों का हम कल्याण करें। इसमें सबसे ज्यादा तो बुजुर्ग हैं, पेंशन पाने वाले लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। इसमें इन्होंने जो परिभाषा दी है, आपने इसमें ठीक किया है कि उसमें फुड और हेल्थ केयर के साथ-साथ उन्हें शेल्टर चाहिए।

लाल सिंह जी ने अभी जो कहा है तो लाल सिंह जी ने ठीक ही नैरेट किया है। भले ही उनकी बात किसी को पसन्द हो, न हो, लेकिन उन्होंने तथ्य कहा है...(<u>व्यवधान</u>) उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बुजुर्गों के साथ घर में कैसा व्यवहार होता है। माता-पिता का नाम वहां लेते हैं, जहां उनको सुविधा एवं लाभ चाहिए। घर में माता-पिता को तिरस्कृत करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। वे कराहते रहते हैं, उनको पीने के लिए एक लौटा पानी तक नहीं मिलता है, खाने की बात तो दूर है। ऐसे समय में सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। सीनियर सिटीजनशिप की जो परिभाषा है, मैं मांग करता हूं कि इस बिल में सरकार जब विचार करे तो इस बात पर भी गौर करे कि सीनियर सिटीजन को हमें परिभाषित करना है। उम्र की सीमा तय करनी है, क्योंकि अभी एकरूपता और समरूपता नहीं है। 60 और 65 का अंतर्विरोध चल रहा है कि उम्र सीमा क्या हो। इसलिए उम्र सीमा तय करनी है। उसके लिए सेंटर हाउस, जो आश्रम है, वहां आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत सारे घरों में बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है। उन्हें वहां से निकाल कर कोई टूटा-फूटा जो रूम है, उसमें आश्रय देते हैं। अगर उसमें भी उन्हें आश्रय नहीं मिलता है तो वे भाग जाते हैं।

मैं अभी एक गांव में गया था, मुझे वहां पता चला कि एक आदमी का बेटा टीचर है। उसकी पत्नी मुखिया के पद के लिए खड़ी हो गई। उसका पिता इसलिए मर गया, क्योंकि उसके पास एक कम्बल तक नहीं था। उसे पुतहू ने कम्बल नहीं दिया, बेटा कुछ बोल नहीं सकता है। एक 70 वर्ष का व्यक्ति है, उसको उसकी बेटी का बेटा आकर ले गया। उसको खाने के लिए नहीं दिया और बाहर मवेशी घर में उसकी सास, लड़के की मां सोई हुई थी। वह जो कपड़ा ओढ़ कर सोई हुई थी, उसकी पुतहू ने आकर उसे छीन लिया और फिर उसे पीटा। उसके बाद उसकी बेटी को खबर दी, तो बेटी ने अपने बेटे को भेजा और वह उसे ले गया। ये कहानी आम हो गई है। जो सीनियर सिटीजन है, चाहे औरत हो या मर्द हो, समाज में ये घटना घट रही है। अगर उसे ओल्ड ऐज़ पेंशन मिलेगी, उसकी सुविधा रहेगी तो ही उसे उसके परिवार वाले पूछेंगे। मेरे स्टेट में बीपीएल को वेरीफाई करने वाला नहीं है। मैं लाल सिंह जी की बात से सहमत हूं कि ओल्ड ऐज़ में बीपीएल, एपीएल की सीमा नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि जो सम्पन्न परिवार के लोग हैं, उन पर बहस होती रही है। सब लोगों ने विवाद किया है कि जो बीपीएल की सूची है, वह विश्वसनीय नहीं है और जो सम्पन्न लोग हैं, वे बीपीएल में हैं और जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब परिवार का गरीब व्यक्ति है, वह बीपीएल में नहीं है। बीपीएल में जो नहीं है, उसे पेंशन नहीं मिलती है और जो सम्पन्न व्यक्ति बीपीएल सूची में है, उसे पेंशन मिलती है। अग्रवाल साहब ने इस मामले में सीनियर सिटीजनशिप में जो भेदभाव होता है, इसमें टारगेट नहीं है, उस पर इस बिल में विचार नहीं किया है। हो सकता है कि आपके दिल्ली प्रदेश में ये मामला नहीं हो, लेकिन हमारे यहां है। एक सौ व्यक्तियों की एक गांव में इसके लिए पात्रता है। उनको मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके क्षेत्र एवं जिले में जाते हैं, दूसरे जिलों में पोलिटीकल टूर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 70-80 साल के बूढ़े एवं बूढ़ियां हैं। कई बार पेटीशन दिया है, ओल्ड ऐज़ पेंशन नहीं मिलती है। 80-82 साल का जो हो गया, उसे पांच साल ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए। अगर वह पेंशन होल्डर है तो उसको और नहीं मिलता है। जिसको पेंशन मिलती है, उसको कहते हैं कि ऐज़ का प्रमाण-पत्र ले आइए। ये सारी चीजें हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको परेशानी है। इसलिए इसके लिए एक कानून सरकार बना ले और पेंशन देने में जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करे। तीन सौ रुपए पेंशन कम हैं, इसमें वृद्धि होनी चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, भोजन की व्यवस्था हो, कपड़े की सुरक्षा हो और कोई बेटा तभी पूछेगा। गांव में एक कहावत है कि पुतहू अपनी सास की सेवा तभी करती है, क्योंकि उसके पास जेवर है। वह लोभ से सेवा कर रही है कि जब वह मरेगी तो वह जेवर मेरा हो जाएगा।

उसी तरीके से ओल्ड एज का जो सीनियर सिटीजन है, अगर उसे पांच सौ या एक हजार रूपए पेंशन मिलेगी तो उसकी सेवा होगी, उसको खाना मिलेगा। वही बेटा उसे देगा, जो अभी उसे तिरस्कृत करता है, वही पुतहू देगी, जो उसे तिरस्कृत करती है, क्योंकि जीवन की एक गारंटी मिलेगी, जीवन के बारे में एक सुनिश्चितता मिलेगी। इसलिए सरकार को चाहिए, यह लोक-कल्याणकारी राज है, सरकार इस विधेयक को मान ले।

महोदय, मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपकी इतनी संवेदना ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन के बारे में आ गयी, हम लोग जब अपने क्षेत्र में, जिले में जाते हैं या अपने प्रदेश में घूमते हैं, तो बुजुर्ग की जो दशा देखते हैं तो समझते हैं कि सरकार के द्वारा पेंशन देने के बावजूद भी कोई मैथड नहीं है, जिससे इस बात की गारंटी हो, कोई पदाधिकारी नहीं है जो इस बात की अंडरटेकिंग दे कि हमारे जिले में पात्रता वाले शत-प्रतिशत लोगों को ओल्ड-एज पेंशन मिल रही है और अमुक तारीख तक कोई वंचित नहीं है। इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बिल में इसका भी प्रोवीजन होना चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि एक निश्चित तारीख तक अंडरटेकिंग दे कि हमारे यहां कोई व्यक्ति इस तारीख को वंचित नहीं है। 31 मार्च, 2013 तक हमारे यहां कोई वंचित नहीं है, जिसे पेंशन नहीं मिल रही है। इस बात का प्रोवीजन होना चाहिए। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस बिल को स्वीकार कर ले, यह बहुत अच्छा है। इसमें जो संशोधन करना है, संवर्धन करना है, वह सरकार करे।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामयिक बिल प्रस्तुत किया है और सरकार को इस बिल पर विचार करना चाहिए।

-

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I extend my full support to the Bill that has been introduced by

our good friend Shri Jai Prakash Agarwal. I would be happy if he can tell us whether he is himself a senior citizen or not. Most of us who have participated in this discussion invariably agree with him because this is very timely as Shri Mangani Lal Mandal has just now mentioned.

The involvement of finance comes to around, as per his calculations, Rs.700 crores from the Consolidated Fund of India and another non-recurring expenditure of around Rs.7 crore. I would be happy if, other than piloting this Bill in this House, the hon. mover of this Bill also draws attention of the Finance Commission towards this problem relating to the senior citizens which the country is facing today.

Two major aspects have been propounded in this Bill. Firstly, 'duty of the appropriate Government to provide social security to all senior citizens'; and secondly, 'shall be paid monthly pension of such rate as may be prescribed by the appropriate Government'. These are the two major issues, other than what he has already narrated in the Bill. 'The Central Government shall, after due appropriation made by law by Parliament in this behalf, provide adequate funds to the State Governments for carrying out the purpose of this Act'. So, this is one of the major riders of this Bill.

Another issue which he has mentioned which I will be delving at length while discussing the Bill is that 'Government may establish and maintain old age homes at accessible places in each district'. This is a laudable suggestion which the hon. Member has put forth. Senior citizens are a neglected lot in a society when the family is fragmented. Flight of youngsters to earn their livelihood causes urbanization to take place in a major way. These are the three major causes which actually put senior citizens into difficulty and therefore, nuclear families are there.

It has become a necessity to live in urban areas with nuclear families and the traditional joint family is breaking down, which is an asset of Indian society. It is the break down of family that has multiplied in this post-modern world, which has put senior citizens into a lot of difficulty.

It was in 1991, as has been very rightly mentioned by our senior colleague Shri Jai Prakash Agarwal while piloting this Bill, that the United Nations urged all the Governments to formulate policies for the benefit of senior citizens. Shri Jai Prakash Agarwal has moved this Bill to make provision for financial security, to make provision for medical care and to make provision for shelters for the senior citizens. As per 2001 Census, the total population of senior citizens was 7.7 crores. The share of the people aged 60 years and above in the total population is the highest in Kerala, which is 8.82 per cent followed by Himachal Pradesh with 8.12 per cent and Punjab with 7.85 per cent. I would be happy if the Government also tells us the proportion of senior citizens especially in the areas, where the tribal people reside, of different States. Is it that many tribal people do not reach the age of 70 because of lack of medical care, because of lack of nutritious food for their livelihood or because they do not get that much of support from the society to live a long life? That also needs to be taken care of by a welfare State, as has been just mentioned.

Continuous increase in life expectancy means that more people are now living longer, but this also gives rise to another problem. Old-age diseases are also being seen throughout our country. At one point of time, we heard that President Reagan was suffering from Alzheimer.

I had also tried to bring in a discussion relating to geriatric diseases and the need to have more of geriatric clinics in every district headquarter hospital. Today, there is a need to have a two-pronged strategy. One is to identify those people who are suffering from Alzheimer, who are suffering dementia, who are suffering from senility and who are suffering from other old-age diseases as a result of which they forget and cannot express themselves as to what they feel about their well-being. That disease has become so endemic today that large number of families just fearing social boycott, do not express that senior citizens are suffering from Alzheimer or from dementia.

The greater problem is that we do not have today in our country large number of male nurses or female nurses to attend to this type of diseases. There is a need for them. I hope that when the Government responds to the Bill of Shri Jai Prakash Agarwal today or in future, it would cover the aspect of the need to have specific training because this is a different type of training that is required to attend to old-age people who suffer from Alzheimer or dementia. There are many of them who are tortured inside the house. They are just left in the lurch to die. There, the society has to come forward. The Government also has to extend a helping hand. I think, training is necessary, and providing a paltry sum of pension is not sufficient.

There is an old story, which I had read and I think that many of us must have read it during our primary school days. A young King who took over power said that there is no need to have old people in his country and that his country needs young people to march ahead. So, he told to do away with all the old people who are above a certain age because they are

not productive for the society. This country faced drought continuously for seven years and no seed was available to sow in the fields. A young boy who had actually kept his old father secluded and hidden in a cellar asked his father as to what he should do. The advice was to plough the drains just beside the road and he will find little bit of seed. He did it, and after the rains came, the sprout came up. The King got the information that here is a boy who could plough the drains beside the road and there he found some sprout, which has come up. How could he do it? The young boy was called before the King, and the King asked him this. Where did you get this idea? It is not your idea as the country has suffered for the last seven years. How could he do this? Who gave him this advice? This boy thinking about his father's life and thinking about his own life first begged apology. He said that if my head will be upright, then I can tell the truth to the King. The King asked him to do it and tell him the truth. This is how the King came to know that vigour of youth is necessary for progress of the country, but the sane advice of the old people is necessary to keep the country growing. Ultimately, this is how the King came to know that the decision that he had taken some 7 or 8 years back was not the right decision.

While narrating this story, I am also reminded of another story. I hope the Minister of Tribal Affairs and Panchayati Raj is aware about Fakir Mohan Senapati, the father of Odiya literature who had written a short story 100 years back, that is, in the later part of the 19th Century. The story's name is Daka Munshi. The story is about an old person who had devoted his full life to make his son literate so that he can become a Sub-Deputy. Ultimately, he is thrown out of his house because he does not live up to the standard to which his son has grown. I would just conclude the story in one line. Ultimately, the son came to know that how he has neglected his parents about which other Members have also spoken here. The amount of dejection that ultimately dawns on him because he has neglected his parents because of whom he has actually come to this earth was portrayed by Fakir Mohan Senapati some 100 years back in a story.

On an earlier occasion, I had visited Japan with the then Parliamentary Affairs Minister. There we came to know that a large number of villages are being abandoned. Some 20-25 years back the youth were abandoning the villages. But now the old people who were actually left behind to sustain themselves are forced to leave the villages. Practically, the villages are being de-populated. We had gone to a village near Nagasaki where number of villages are being de-populated. They are migrating to the urban areas just to sustain themselves. Villages are being abandoned and flight of people today is there even in our country. I do not know what is happening in Bihar, but in Odisha in my own constituency I have seen that whenever we go to a village either you see aged people or you see the youngest who are below 12 years of age. Only they are there in the village.

The productive age of our generation is between 15 and 55 years, but most of them have left the villages and have gone to other places, especially, to urban areas to earn their livelihood. This is happening and this is a very serious problem, which our rural area is facing. This also leads to the problem the old-age people are facing in the rural area. The Government of India and the Government of the respective States are also providing old age pension. They are providing medical care. They are providing some type of support, but what is greatly needed is empathy, which every old age person requires. When one visits Brindavan or when one visits Mathura, one can always find this out from the old age widows who are there.

Now, I come to the old age people living in the cities. When this Bill has been piloted by Shri Agarwal, I would fail in my duty if I do not mention this that it is not only in Delhi, even in Bhubaneswar and even in other urban areas, old people who live in these urban areas face another type of hazard – that hazard is not only they feel neglected by the society, but also their lives are in danger. Some people just bulldoze into their houses, murder them for some paltry sum and run away with it. Their children live in far off shores in different countries or live in far off places, and they have very little security.

Therefore, my suggestion would be that respective State Governments, and the police force also should be taken into confidence, provide them with some sort of electric connection which, when they are in danger, at least, they could press the bell that would ring in the nearby police station or outpost so that a dedicated police force could attend to their grievances.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.पू.): जब बिजली चली जाएगी तब क्या होगा?..(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : जहां बिजली नहीं है वहां लाठी से काम चलेगा। I would say there is a necessity to have a dedicated police force to look into the aspect, especially the security of older people.

I have been told by many old parents that the girl child is more attached to the old parents than the male child. I do not know about you, Sir, but I am experiencing it myself, though I have not reached the age of 60. I am experiencing it myself, and with all love and affection for my son, I would say this. I am witnessing it in our society.

Therefore, my suggestion would be that the Government should promote the concept of aging in place or aging in one's

own home. Home care service is also required. There is a necessity to recognize senior citizens as a valuable resource for the country and ensure that it provides them with equal opportunities and also protect their rights. It should ensure income security for them in their old age.

Lastly, I would say that media has a greater role to play. Media has a greater role to disseminate the information relating to the problems of the older people. Media has a greater role to highlight the changing situation of senior citizens today in the society. I would also urge upon the Government to involve mass media for the support of senior citizens of this country.

–

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): मैं सबसे पहले बिल को सपोर्ट करते हुए श्री जय प्रकाश अग्रवाल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बाकी सदस्यों ने इस बिल पर काफी प्रकाश डाला है। मैं इसे दो आस्पैक्ट में रखना चाहता हूं - एक, इस बिल का फाइनैंशियल आस्पैक्ट क्या है और दूसरा, इसका सोशल आस्पैक्ट क्या है। अगर फाइनैंशियल आस्पैक्ट था तो जैसे इस बिल की स्टेटमैंट में लिखा है -

> "Senior citizens are often neglected by the members of their own families. Their problems have been increasing to such an extent that in the year 1991, the General Assembly of the United Nations had formulated the policy."

इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, वहां भी सीनियर सिटिजन की प्रॉब्लम है। सीनियर सिटिजन की प्रॉब्लम को दो हिस्से में रखिए - एक, फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट और दूसरा सोशल रेस्पेक्ट ऑस्पेक्ट। मैं पहले सोशल रेस्पेक्ट की बात करना चाहूंगा क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनोमी में सोशल ऑस्पेक्ट देखिए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में हमें डा0ईश्वरी प्रसाद हिस्ट्री पढ़ाते थे कि नेपोलियन कहा करता था कि nothing can beat the experience. एमिल लेडविग ने अपनी बायोग्राफी, जो नेपोलियन की सबसे बढ़िया बायोग्राफी है, में लिखा है कि नेपोलियन के पास 600 से ज्यादा जनरल्स थे। जब वह जनरल्स को सेलेक्ट करता था कि कौन इस लड़ाई में जाएगा, तो अगर दस जनरल्स शॉर्टलिस्ट हुए, उन दस में से अगर कोई बूढ़ा जनरल भी होता था, जिसके पास अच्छा अनुभव होता था, उसको वह सेलेक्ट करता था, even in the case of geographical hazards, youngster was better. नेपोलियन ने भी एक्सपीरिएंस को महत्व दिया। अगर एक्सपीरिएंस को महत्व दिया जाए, तो जब मैं वकालत करता था, तो मैंने देखा था, पता नहीं उनका नाम लेना यहां परमिटेड है या नहीं, एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अनुभव से पांच साल सरकार चलाई, हालांकि उनके पास बहुमत नहीं था - डा0नरसिम्हा राव साहब। It is the experience that makes the sun shine. इसकी इम्पोर्टेंस है। एक्सपीरिएंस हमारी माइथालॉजी में है कि जब 32वां दांत निकल आता है, जब आदमी 60 साल का हो जाता है, तब उसके विज़डम टीथ आते हैं। चौधरी लाल सिंह जी, जो अभी इतनी बहादुरी से अपना विक्टोरियस ओरेशन दे रहे थे, वह भी इसको समझ रहे हैं कि देर में अक्ल आती है। पता नहीं आपकी उम्र क्या है। इस पक्ष को भी अग्रवाल साहब देखें। एजुकेशनल कार्यक्रमों में बच्चों को बिल्कुल क्लास-वन से हाईस्कूल तक सीनियर सिटिजन्स को रेस्पेक्ट देने के बारे में लेसन्स शामिल किए जाएं। माता को कैसे रेस्पेक्ट दी जाती है, पिता को कैसे रेस्पेक्ट दी जाती है, यह चीज बच्चों को कांशस होकर कैरीकुलम में बताया जाए। ऐसा पहले पुराने जमाने में होता था। यह रेस्पेक्ट की बात है।

दूसरा, अब फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट पर आइए। मैंने कहीं पढ़ा कि हैल्थ केयर की वजह से लोगों की लांगेविटी बढ़कर 66.1 वर्ष हो गयी है। पहले यह 57 थी, फिर 60 हुई, 63 हुई और अब 66.1 वर्ष हो गयी है। अगर यह कहा जाए कि सभी को, चाहे वह धनी हो या निर्धन, 2000 रुपये दिए जाएंगे, तो यह प्रैक्टिकल नहीं होगा, यह एक यूटोपियन थिंकिंग होगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, चाहे आईएएस हो या कोई छोटा ऑफिसर हो, जब उनकी उम्र 70-80 वर्ष की हो जाती है, तो उनको हर तीन महीने में अपनी शिनाख्त कराने के लिए ट्रेजरी जाना पड़ता है। आप इसको डिसपेंस-विथ कर दीजिए। तहसील लेवल पर जो सीनियर सिटिजन्स रहते हैं, उनको कचहरी और तहसील में न जाकर के, उनके लिए एक शिविर लगाया जाए, वहां के ऑफिसर्स दौरा करें और सीनियर सिटिजन्स की वेरिफिकेशन उनके घर पर जाकर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। इससे सीनियर सिटिजन्स को अपने मान और रेस्पेक्ट का ज्ञान होगा और उस गांव में, उस सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। I hope I can clarify very well. जैसे कोई डिप्टी कलेक्टर वर्ष 1950 में रिटायर हुआ। आज उसकी उम्र 89 साल है, वह जा ही नहीं सकते वहां, लड़का वहां नहीं है और अगर वह कार मांगता है तो 1000 रुपए या 2000 रुपए का उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा इसलिए वह नहीं जा सकता। किस मुसीबत में वह वहां जाता है, इसे देखा जाना चाहिए। देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब उनके पास रिकार्ड है, तो विंटर में जो अधिकारी दौड़ा करते हैं, वे उसके घर जाकर उसकी फोटो वेरिफाई कर सकते हैं। मेघवाल साहब रिटायर्ड आईएएस आफिसर हैं, यह समझते हैं कि कैसे दिक्कत आती है। जब तहसीलदार या केन्द्र सरकार का या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी उसके घर जाएगा तो उसकी कंवीनींयस भी ठीक होगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी।

सभापति जी, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि वैस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मेरे एक मित्र थे, काफी सीनियर थे, अब नहीं रहे। वह एक बार अमेरिका गए। उन्होंने बताया कि उनके बाल-बच्चे सोमवार को चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से शनिवार-रविवार को मुलाकात होती थी। यह बात उन्होंने हमें 1975-1976 के समय बताई थी। उनके फ्लैट के बगल में एक वरिष्ठ महिला रहती थी और यह भी चूंकि बुजुर्ग थे इसलिए कभी-कभी इनसे बात कर लेती थी। इन्होंने बताया कि मैंने पांच-छः दिन तक देखा कि उसके घर के आगे दूध की बोतल, कुछ अखबार बाहर पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि उस वृद्धा का दरवाजा बंद रहता था। कुछ दिन बाद जब स्मैल आने लगी तो पता चला कि वह वृद्धा नहीं रही। तब वहां पुलिस आई और उसकी जानकारी के मुताबिक पता चला कि उसे मरे हुए पांच-छः दिन हो गए थे। जब सोशल सिक्योरिटी से फोन किया गया उसके लड़के को, जो कनाडा में सर्विस करता था। जब उससे टेलीफोन पर सम्पर्क हुआ तो उसने कहा कि यह बैंक अकाउंट है, फ्यूनरल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लें, पैसा जमा है तो सब कुछ फाइनल कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आने का समय नहीं है। यह बात जब हमारे उन मित्र, जिनका नाम गजाधर प्रसाद भार्गव एडवोकेट था, को पता चला कि ऐसा वाक्या हुआ है तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि फौरन मेरा भारत जाने का टिकट बुक करा दो, मैं यहां अब और नहीं रहना चाहूंगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री अगर फाइनेंशियली वैलआफ हो, या लोग वैलआफ हों, उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता हो। जैसा कि अभी मेघवाल साहब ने भी एक किस्सा बताया था कि जब इनकम टैक्स की रेड हुई तो तहखाने में उनके मां-बाप थे। मैं जब युनिवर्सिटी में था तो वहां हॉस्टल में रहता था।

उस युनिवर्सिटी में आईएएस पैदा होते थे। मैं बीए का विद्यार्थी था। मैंने एक दिन देखा कि एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने एक लड़के के बारे में पूछा, वह लड़का पढ़ने गया हुआ था। हमने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस लड़के का पिता हूं। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता जी आए थे, वह देहात के थे। इस पर उस लड़के ने शर्म के मारे कहा कि वह मेरे पिता नहीं हैं। I remember, that boy later on qualified for IAS and he has recently retired. हमको इतनी झेंप लगी और इतनी ग्लानि हुई कि तब से उस लड़के के बारे में मेरा नजरिया ही बदल गया। जो लड़का अपने पिता को इसलिए पिता कहने में कबूल नहीं कर रहा है कि उसका पिता गांव का देहाती है और धोती-कुर्ता पहनता है। यह मानसिकता है, हमको लगता है कि अग्रवाल साहब ने इसे कहीं न कहीं पहचाना। हालांकि अग्रवाल साहब जब हम नए-नए सांसद बनकर आए थे, यह हाउस कमेटी के चेयरमैन थे तो हमें मकान अलाट करने में काफी दिक्कतें हुई थीं। इन्होंने हमारी बुजुर्गियत भी नहीं देखी। उस समय मैं सीनियर सिटिजन था। चलिए, कम से कम देर आए-दुरुस्त आए।...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : आपको सब चाहते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह : यह तो मैंने ऑन दि लाइटर साइड कहा, क्योंकि माहौल बहुत डल हो रहा था।

MR. CHAIRMAN : You will always be a 'junior citizen' for us. Please continue.

श्री विजय बहादुर सिंह : धन्यवाद। अंग्रेजी में एक कहावत है, एच.जी. वैल्स ने एक स्टोरी लिखी है, उसका शीर्षक है - "If age knew and youth could". जैसे जोश और होश की बात, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कही थी, इन दोनों का समन्वय और संगम होने से ही काम चलेगा। यह भी एक विडम्बना है कि रेलवे में सीनियर सिटिजन की पर्टिकुलर उम्र है, हवाईजहाज में दूसरी है और अन्य जगह तीसरी है। आप सीनियर सिटिजन को अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल नहीं है, जैसे रेलवे में आप रूल बना दें कि अगर कोई सीनियर सिटिजन की उम्र 70 साल हो या कोई भी हो, तो उसे लोअर बर्थ मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। अगर दो आदमी एसी-2 टायर में अप्लाई कर रहे हैं तो जो सबसे सुविधाजनक नीचे वाली सीट हो, वह सीनियर सिटीजन को दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है। उसी तरह से रेलवे स्टेशन पर आप लाइन लगवा दीजिए और सीनियर सिटीजन में भी आप उम्र के हिसाब से डिविजन कर दीजिए। अस्पताल में अगर सीनियर सिटीजन दवाई के लिए जाता है तो सीएमओ को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि they should be attended to on priority basis. अगर ऐसी बातें कानून के द्वारा शुरू हो जाएंगी जबकि हम जानते हैं कि कानून से यह सभी चीजें आप अचीव नहीं कर सकते हैं लेकिन कानून से एक शुभारम्भ तो हो सकता है। इस तरह से भी इन्हें लाभ दिये जा सकते हैं। सिविलाइजेशन और नेशन का बैरोमीटर तभी माना जाए कि किस देश में बुजुर्गों का कितना आदर है? अगर किसी देश या सभ्यता में बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, आदर नहीं है तो उसे सभ्यता का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही वह सर्वाइव कर सकेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस डिबेट को आप कितना भी लम्बा कर सकते हैं लेकिन इस बिल की जो भावना है उसे पकड़ा जाए और अगर यह बिल पास होता है तो इसकी भावना को डिवेलप करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि respect to the citizen is a respect to the age.

16.57 hrs (Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

सीनियर सिटीजन की जो सीनियोरिटी लिस्ट है वह मीणा साहब यूपीएससी से नहीं बनती है, जैसे आप 1970 के पुराने आईपीएस ऑफिसर हैं। चाहे आप कम्पीटेंट हों या इनकम्पीटेंट हों, आप 1970 बैच के ही रहेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन की सीनियोरिटी लिस्ट बनाने वाला तो भगवान है। जब भगवान ने उसे सीनियर सिटीजन बना दिया है तो हम लोग उसे आदर दें। सीनियर सिटीजन को आदर देना यूनिवर्सल लॉ के नजदीक है। हम इसे आध्यात्मिक रूप में लाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान ने सीनियर बना दिया, ऐसा नहीं है कि सीनियर इन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, पता लगा कि आप जूनियर थे लेकिन आप एससीएसटी हैं तो आप सीनियर हो गये। जिसे भगवान ने सीनियर बना दिया, जिसकी उम्र 70 साल है, उसे आदर मिलना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी पैनल्टी क्लॉजेज भी लगवाइये। अभी स्वीडन में हुआ कि अगर एक मां ने अपने बच्चे को निगलैक्ट कर दिया तो मुसीबत हो गयी। वह बात इंडिया तक आई कि उन्हें भगा दिया और क्या-क्या हुआ। If you are neglecting a child and if you are ill-treating a child, then you face the music and face the consequences. जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र जाता हूं तो करीब दिन में एक बार शिकायत सुनने में आती है कि एक बुड्ढा किसान आता है कि मेरा लड़का नोएडा में मजदूर होकर चला गया और घर का ताला बंद है, मेरे लिए कोई खाना नहीं है, रोटी नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर दो कमरे का मकान है तो दोनों कमरे बंद करके बरामदे में सीनियर सिटीजन को छोड़कर चले जाते हैं। मैं चूंकि गांव से आता हूं उसका थोड़ा बहुत इंतजाम करवा देता था लेकिन वह इंतजाम हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें कोई पैनल्टी-क्लॉज भी लगाएं। उसकी चाहे जो भी प्रक्रिया हो लेकिन ऐसा होना चाहिए। हम जानते हैं कि माननीय अग्रवाल साहब से ज्यादा सीनियर सिटीजन को कौन जानता है।

17.00hrs

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am to inform the hon. Members that three hours have already been taken on this Bill thus almost exhausting the time allotted for its discussion. The House has to extend the time for further discussion on the Bill. Is it the pleasure of the House that the time for discussion on the Bill is extended till the discussion on the Bill is over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time for discussion on the Bill is extended till the discussion on the Bill is over.

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, मैं रामायण की चौपाई आपको सुनाना चाहता हूं। मंत्री महोदया सदन में बैठी हैं। इनका फोरन और वैस्टर्न एक्सपोज़र है, हो सकता है कि इन्हें रामायण के बारे में न मालूम हो। आप अगर आजकल रामायण को कोट करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप देहाती हैं, लेकिन बाइबिल कोट करेंगे तो कहेंगे कि आप मॉडर्न हैं। मैं रामायण को कोट करना चाहता हूं कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे पर थे और पूरी सेना वहां रुकी हुई थी। समुद्र उफान पर था। सभी समुद्र को रास्ता देने के लिए मना रहे थे। लेकिन जब सेना पानी के उफान के कारण समुद्र को पार नहीं कर सकी, तो भगवान राम ने कहा-

"विनय न माने जलधि जड़, जब गये तीन दिन बीत,

लक्ष्मण बाण सम्भालिए भय बिन होत न प्रीत।"

विनय माने प्रार्थना और जड़ माने इल्लीट्रेट, अनकल्चर्ड। न जल मानता है और न जड़ मानता है और तीन दिन बीत चुके हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि बाण सम्भालो और बिना किसी डर के प्रीत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि आप पेनल्टी क्लाज भी लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आज वरिष्ठ नागरिकों को रिस्पेक्ट दी जाए, तो ऐसा करना अनिवार्य है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूनीवर्सिटी में एक लड़के ने अपने बाप को डिस्ओन कर दिया, क्योंकि बाप देहाती कपड़े पहनता था और प्रदीप जैन जी के जिले का ही लड़का था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर चाइल्ड एब्यूज़ के लिए स्वीडन में माता-पिता के लिए मुसीबत हो गई, अगर सीनियर सिटीजन के लिए शिकायत हो कि he is being neglected by his children who are well-off, तो इसके लिए भी एक्शन और पेनल्टी क्लाज लगाने की व्यवस्था की जाए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जे.पी. अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अच्छा प्रयास किया है और मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ इस शोध चिंतन के लिए माननीय जयप्रकाश अग्रवाल ने विधि के लिए प्रस्ताव की जो सोच रखी है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज था, वह दिनों दिन विकृत होता जा रहा है। सामूहिक परिवार का रिश्ता समाप्त होता जा रहा है। माँ-बाप का आदर करने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति को फालो कर रहे हैं। विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे विदेशों में 18 साल का बच्चा स्वावलम्बी हो जाता है और माँ-बाप का उन पर कोई अधिकार नहीं रहता है। माँ-बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो सरकार द्वारा उनके लिए चिंता की जाती है। वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी रीति-रिवाज हमारे देश में आ रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति विदेशों से प्रभावित होने की वजह से जयप्रकाश जी ने सोचा है कि कैसे हमारे देश में बुजुर्ग लोगों का अच्छा भविष्य हो सकता है।

हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं जिससे जागरुकता उत्पन्न हुई है। कोई भी आदमी चाहे चाय बागान में काम करे या गांव में रहे, वे जागरुक हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है। चाहे उनके पास खाना हो या न हो लेकिन उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आजकल हम एक क्रांतिकारी बदलाव पोलियो के बारे में देख रहे हैं। पहले गरीब आदमी को मालूम ही नहीं होता था कि पोलियो क्या है। अब ऐसे प्रचार-प्रसार हो गया है कि सब बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जाते हैं। अब पोलियो के बारे में लोगों में जागरुकता आ गई है। इसी तरह बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई विचारधारा समाज में आनी चाहिए कि इनकी देखभाल कैसे की जाए। माननीय सदस्यों ने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम होने चाहिए और उनकी सेवा के लिए ट्रेंड नर्सिस होनी चाहिए। हमारे यहां उलटा होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और स्कूल में टीचर रखते हैं लेकिन प्राइमरी में ऐसे ही रखते हैं। प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था भी इसी ढंग से होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो लेकिन बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं। अग्रवाल जी ने कुछ परिभाषाएं सोच कर रखी हैं। मैं दिल्ली में कम ही रहता हूं, सत्र के समय या मीटिंग के समय ही ज्यादा रहता हूं और बाकी समय में अपने गांव में ही रहता हूं। मैं वहां देखता हूं कि जो नौकरी वाले हैं या जिन्हें पेंशन मिलती है वे तो ठीक से रहते हैं लेकिन उनकी भी बहुत मजबूरियां हैं। हमें कोलकाता में इस तरह के बहुत मामले देखने को मिलते हैं। आजकल छोटे न्यूक्लियर परिवार में बच्चों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं और मां-बाप अकेले रहते हैं, उनके पास पैसा होते हुए भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ जिन्हें पेंशन नहीं मिलती, जो खेती करते हैं या चाय बागान में काम करते हैं, उन्हें सरकार कुछ देती है। आजकल की आर्थिक व्यवस्था में बच्चे अपनी कमाई में मां-बाप का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बोझ हैं और उन्हें निकाल देते हैं। चाय बागान में सिस्टम है कि नौकरी या मजदूरी करते हैं तो 58 साल में रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी मिल जाती है। यह अब कानून बनने के बाद मिल जाती है। पेंशन बहुत मुश्किल से मिलती है और कभी नहीं भी मिलती है। जब तक ग्रेच्युटी का पैसा मां-बाप के पास रहता है बच्चे उनकी देखभाल करते हैं और बाद में घर से निकाल देते हैं। इस स्थिति में मां-बाप के पास कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे गरीब जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनका हिसाब रखा जाए। जिस तरह शिक्षा के लिए प्रावधान हो गया है इसी तरह बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। स्कूल में शिक्षा के लिए पैसा टैक्स से आता है। इसी तरह बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मान लीजिए आज मैं जवान हूं लेकिन बुढ़ापे में नहीं पता कि मेरा बेटा मेरी देखभाल करेगा या नहीं। मेहताब जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि भारत में मां-बाप लड़कियों से ज्यादा लड़कों का ख्याल करते हैं इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं। इस तरफ एक सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे यहां काफी कुरीतियों का निदान हुआ है। पहले सती प्रथा थी कि विधवा हो जाए तो जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय जी इस प्रथा में परिवर्तन लाए, समाज में जागरुकता लाए। बुजुर्गों की अंत समय में अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। रेलवे में कभी सीनियर सिटिजन की आयु 60 वर्ष से कम और कभी ज्यादा रखी जाती है। मेरा निवेदन है कि इसे निश्चित करें। पेंशन और भरण पोषण को मापने के लिए एक अलग मापदंड होना चाहिए। विशेषकर गांव में किसान खेती या मजदूरी करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइज सैक्टर सरकार उठा रही है। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के मामले में आगे क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जय प्रकाश अग्रवाल जी ने सोच समझकर बिल रखा है इस पर निश्चित तौर पर विचार करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आज हम जवान हैं और आगे बुजुर्ग होंगे। इस मुद्दे के बारे में सोच समझकर कानून और व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले। इस संबंध में माननीय सदस्य जिस सोच के साथ बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि भविष्य में बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत विधेयक बने।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.बलराम नायक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी और चौधरी लाल सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं। यहां 10-12 सीनियर मैम्बर्स बोल चुके हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें रैस्पैक्ट भी पे करता हूं। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी चीजें बताई। ओल्डर पर्सन्स के लिए नेशनल पालिसी 1999 में लाई गई। सीनियर सिटीजन्स के लिए फूड सिक्युरिटी, फाइनैन्स सिक्युरिटी एंड हैल्थ केयर की पालिसी 1999 में लाई गई थी। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए 2012 में नेशनल काउंसिल एक डिस्ट्रिक्ट में पालिसी लाई गई। उस पालिसी के तहत एनजीओज, गवर्नमैन्ट के सीनियर सैक्रेटरीज और एक्सपर्ट सीनियर मैम्बर्स को लेकर एक कमेटी बनाई गई और 2012 में पालिसी लाई गई। उसके बाद मेन्टिनेंस एंड वैलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए 2007 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में यह प्रावधान था कि जो प्रोपर्टी बच्चों को दे दी जाती है, उस प्रोपर्टी को बुजुर्ग लोग वापस ले सकते हैं। अगर बच्चे बूढ़े लोगों की देखभाल नहीं कर पाये तो प्रोपर्टी को उनसे रिटर्न लेने का एक एक्ट 2007 में लाया

गया था। उसके बाद इंटरोगेटिड प्रोग्राम फार ओल्डर पर्सन्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें ओल्ड एज होम, डे केयर सैंटर, मोबाइल मैडिकल हैल्थ आदि को शामिल किया गया। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफैंस में हमारी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से यदि कोई गांवों में बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है तो ऐसे लोगों को हमारे यहां से लोग जाकर ट्रेनिंग देते हैं। यदि सीनियर सिटीजन्स के लिए वहां कोई देखभाल करने वाला हो, सोशल सर्विस करने वाला हो, एनजीओज हो तो हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमैन्ट के लोग जाकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं।

चौधरी लाल सिंह : यह कहां होता है?

श्री पी.बलराम नायक : सोशल जस्टिस डिपार्टमैन्ट से हमारे आफिसर्स गांवों और डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, वे वहां के कलक्टर को इत्तिला देते हैं, वहां के तहसीलदार उन्हें बताते हैं कि यहां कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए यदि कोई सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देकर सोशल सर्विस के लिए भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के नेशनल प्रोग्राम फार हैल्थ में पंचवर्षीय योजना में हमने अब तक 3000 करोड़ रुपये लिये हैं। ये तीन हजार करोड़ रुपये फाइव ईयर प्लान में सीनियर सिटीजन्स के लिए खर्च करने के लिए रखे गये हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डैवलपमैन्ट सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देती हैं। साठ साल तक के लोगों के लिए यह पेंशन 300 रुपये है। साठ साल से अस्सी साल तक के लोगों के लिए यह पेंशन पांच सौ रुपये है। कुछ राज्यों में मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को मैचिंग ग्रांट में पांच सौ, छः सौ, सात सौ रुपये भी दे रहे हैं। दिल्ली में सात सौ रुपये तक दे रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश में मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं और कुछ राज्यों में नहीं दे रहे हैं। इस तरह से जो भी पैसा भारत सरकार से जा रहा है, वह पैसा उन लोगों को दे रहे हैं।...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में भी मैचिंग ग्रांट है। भारत सरकार तीन सौ रुपये दे रही है और मैचिंग ग्रांट में कुछ राज्य दो सौ रुपये मिलाकर दे रहे हैं, कुछ राज्य एक सौ रुपये मिलाकर दे रहे हैं और कुछ स्टेट्स में सरकार की तरफ से तीन सौ रुपये मिलाकर ओल्ड एज सिटीजंस के लिए मैचिंग ग्रांट दी जा रही है।

रेल मंत्रालय ने उनके लिए स्पेशल काउंटर्स की सुविधा दी है। रेल में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट का प्रावधान किया जा रहा है। रेल में नीचे की सीट देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। मनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा उन लोगों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उन लोगों को सिक्युरिटी और वे कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन या थाने में जा कर सिक्युरिटी मांगें तो उसके लिए सरकार इमिजिएट सिक्युरिटी दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा उन लोगों को ईयरली दो लाख रूपये तक इनकम टैक्स माफ किया जा रहा है। अभी मीणा साहब ने एक नई चीज़ बताई है, प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्न मॉर्टगेज। अगर रिटर्न मॉर्टगेज करने से, सिनियर सिटिज़न को बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्टिगेशन करने से, हमेशा उसके लिए कितने प्रावधान हैं, दो सौ रूपये, चार सौ रूपये, पांच सौ रूपये, जब तक वे लोग जिंदा रहते हैं, तब तक बैंक भी थोड़े स्टेट में दे रहे हैं। थोड़े स्टेट में इंपूवमेंट है और थोड़े स्टेट में इंपूवमेंट नहीं है। बाद में उस प्रॉपर्टी का एक रेट फिक्स कर के दे देते हैं। साहब, यह भारत सरकार ने किया है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और रूरल डिवेल्पमेंट डिपार्टमेंट भी पेंशन दे रहा है।

इस बिल के लिए मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे इस बिल को वापस ले लें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सर, मुझे अपने पूरे पार्लियामेंट्री करियर में दो चीज़ की बहुत खुशी है। इसके बाद मैं मैंबर रहूं या न रहूं। एक तो राज्य सभा में फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन पर मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा सवाल पहले नंबर पर आया जिस पर मेरी तकरार उस समय के होम मिनिस्टर से हुई थी। बाद में सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा कर दस हज़ार रूपये किया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। वही समय आज है। हम बहुत सारे बिल लगाते हैं। कोई आता है, कोई नहीं आता है। बैलेट में नहीं आता है। यह बिल बैलेट में भी आया है। इस पर चर्चा भी हुई। सबको बोलने का मौका मिला है। कम से कम आपके सामने हम अपनी बात और वह दर्द रख सके, जिस चीज़ से आम जनता बहुत ही पीड़ित है। यह साधारण बिल नहीं है। मुझे इस बात के लिए सैकड़ों फोन आए कि जयप्रकाश अग्रवाल तुमने बहुत अच्छा काम किया है और जो बातें तुमने वहां रखीं, वे उन लोगों की बातें हैं, जिन बातों से आम ज़िंदगी में सिनियर सिटिज़न बहुत पीड़ित है। मैं इस बिल को वापस लूँ या नहीं लूँ या आप सिलेक्ट कमेटी को भेजें, यह मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करने वाले हैं। मैं तो यह आशा करता था कि आप मेरी बात मान कर, जो ट्रैडिशन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बनी हुई है, उसको तोड़ कर आज आप यह कहेंगे कि हम इस बिल को एक्सपेट करते हैं या आप इस बिल को वापस ले लीजिए, हम दूसरा बिल ला रहे हैं और उसके अंदर ये तब्दीलियां कर के लाएंगे तो आज मुझे बहुत खुशी होती। चूंकि मैं आपकी पाबंदियों से बंधा हुआ हूँ इसलिए मैं इस बिल को ज़रूर वापस लूंगा। लेकिन एक-दो मुद्दे मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ।

सर, हमारी पार्लियामेंट की जो साइट है, उसमें सिर्फ वे बिल मेंशन किए जाते हैं, जो हम यहां इंट्रोडयूस करते हैं। लेकिन जितने बिल हम लोग डालते हैं, मान लीजिए कि मैंने सौ बिल डाले, लेकिन मेरा बैलेट में एक भी नंबर नहीं आया तो मेरे खाते में वहां ज़ीरो लिखा जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? जो साइट आपने बना रखी है, उसमें आप ज़ीरो लिख दें, क्योंकि जयप्रकाश ने पांच साल में एक भी बिल पेश नहीं किया है। सर, आप यह नोट कर लें, आप किसी तरह यह हिदायत दें कि उसमें यह लिखा जाए कि हमने कितने बिल डाले। इंट्रोडक्शन मेरे हाथ में नहीं है। वह बैलेट में आएगा या नहीं आएगा, वह मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपना काम पूरा किया है लेकिन अगर वह किसी सिस्टम के तहत नहीं आ पा रहा है तो मेरा कसूर नहीं माना जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इसकी हिदायत आप जरूर देंगे। मेरा कहना है कि आपने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, रोजगार गारंटी योजना दी, तो आप एक आप राइट टू लिव और बना दीजिए। इनको देश में जीने का अख्तियार है, इनको सांस लेने का, रोटी खाने का अख्तियार है और वह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार यह देखे कि ये लोग जिंदा रहें, ये हमारे मां-बाप हैं, ये हमारे भगवान हैं, उनको रोटी मिले, उन्हें कपड़ा मिले और उनके रिक्रिएशन सेंटर्स अच्छे हों। वे एक डिग्निटी के साथ रह सकें। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और इसको उसके साथ जोड़ेंगे। अब सवाल आता है कि कितना पैसा इनको मिलना चाहिए? मुझे माफ कीजिएगा, कई मेंबर्स ने पांच सौ, सात सौ और एक हजार रूपए की बात कही, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में पचास रूपए तो स्कूटर वाला ले लेता है। क्या उसके मोहल्ले के कोने पर आपका सेंटर खुला हुआ है कि वह सत्तर साल की बुढ़िया पैदल जाएगी और अपनी पेंशन लेकर वापस आ जाएगी। मुझे एक केस बता दीजिए, जिसके अंदर एक बार में उसे पेंशन मिल जाती हो। उनको सौ-सौ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हारे दस्तखत नहीं मिल रहे हैं, यह स्पेलिंग गलत है, तुम्हारा फोटो नहीं मिल रहा है, वह बीस-बीस रूपए के फोटो खिंचवा के आती है। धक्के खाने के बाद उसे पेंशन मिलती है। मुझे माफ कीजिएगा, आज की तारीख में पांच सौ, सात सौ या एक हजार रूपए कोई मायने नहीं रखते हैं। सौ-दो सौ रूपए की तो रेस्टोरेंट या होटल में कॉफी मिलती है। कौन दे रहा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके घर को खाना नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के पास रहने लिए जगह नहीं है, उन्होंने उसे सड़क पर फेंक दिया और आप कह रहे हैं कि पांच सौ रूपए ले लो, मुझे एक आदमी पांच सौ रूपए में जीने वाला आप बता दीजिए। क्या वह हवा खाएगा? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिस तरह टेंपरेरी इंप्लायमेंट पर आप लोगों को रखते हैं, उस तरह से उनको मिनिमम पांच हजार रूपए जरूर करें। यह सरकार की तरफ से पाबंदी हो। आप यह न छोड़ें कि

सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करे। ऐसा न हो, आप यहां से पांच हजार रूपए करें और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह उसमें जो जोड़ना चाहती है, वह जोड़े। माफ कीजिएगा, यह टुकड़ा न डालें। मुझे इन पांच सौ, सात सौ, हजार या पन्द्रह सौ रूपये पर बहुत सख्त ऐतराज है। आपने बहुत दिया है, आपने किसानों का 75 हजार करोड़ रूपया माफ कर दिया, आपने बुनकरों का माफ कर दिया, आप औरों को बहुत सब्सिडी देते हैं तो इससे बड़ी सब्सिडी और क्या हो सकती है इनको देने के लिए। ये भी तो हमारे लोग हैं, अपना सारा जीवन इन्होंने देश के लिए बिता दिया।

महोदय, आप इसमें एक तब्दिली और करायें। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद आप उससे कहते हो कि सरकारी मकान खाली कर दो। सर, माफ कीजिएगा, आपके यहां भी बहुत सारे केस आते होंगे। वह जिस समय रिटायर होता है, तब उसे सरकारी मकान खाली करना पड़ता है। उसके बाद वह कहां जायेगा, या तो वह चोरी करे, बेईमानी करे, रिश्वत ले और अपना मकान बना ले। मुझे एक भी सरकारी कर्मचारी बता दो, जो शराफत से उस वेतन के अन्दर अपना मकान बना सकता हो। जब उसके रिटायर होने के चार-पांच साल बच जाते हैं तो वह घर में रोने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कहां मकान लूंगा? वह अनऑथराइज्ड कालोनी के किसी गन्दे से इलाके में पीछे की तरफ एक कमरा ले लेता है और उसमें रहता है। आप उनकी हालत देखिये। क्या सरकार ने कभी कोई सर्वे कराया है कि यह तो मालूम करो कि जिनसे आप मकान खाली करवा रहे हो वे कहां जायेंगे? आप पांच लाख मकान सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाओ और जो सरकारी कर्मचारी उसमें रहता हो, उसके लिए एक स्कीम दे दो कि अगर तुम इतना पैसा जमा करते रहोगे तो यह मकान, फ्लैट तुम्हारा हो जायेगा और तुम इसमें रहना। आप उन्हें बेराजगार कर रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे और जो मुद्दे मैंने पहले आपके सामने रखे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। अब तो आपने शायद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी बंद कर दी है और अब आप उन्हें एकमुश्त पैसा दे रहे हैं। अब आपको पता है कि उस एकमुश्त पैसे का क्या होने वाला है, क्या कोई उसका पैसा छोड़ेगा? उसको लाख दो लाख या चार लाख रुपये जो भी मिलेंगे, एक बच्चा कहेगा कि 10,000 रुपये मुझे चाहिए, आज मुझे बच्चे की फीस जमा करनी है, दूसरा कहेगा कि मुझे यह चाहिए। उसका तो काम हो गया और चौथे दिन वह सड़क पर होगा। माफ कीजिए, जो पैंशन आप दे रहे थे, मुझे पता नहीं कि किस आदमी ने आपको यह समझा दिया कि आप सरकारी कर्मचारियों की पैंशन बंद कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को ज़िन्दा रहने दो। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इस सरकार से बहुत उम्मीद है। आज जितने बढ़िया कदम आप उठाते जा रहे हैं, उसमें एक कड़ी और जोड़ो और इन बुजुर्गों को यह कहो कि आप हमारे माई-बाप हैं, आप हमारे भगवान हैं, और हम आपकी केयर करते हैं और हम आपको सब कुछ देंगे। एक बार सोच लो। आप मुझसे मत कहलवाओ, मैं बिल वापस लेता हूँ, लेकिन आप कुछ तो कहें। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। किशोर भाई ही खड़े होकर कुछ कह दें।

श्री पी.बलराम नायक: मैं आपके मनोभावों को समझता हूँ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं अपने सारे साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए, चुभते हुए दिए, उनकी आँखों में आँसू देखकर सबको दर्द है और किसी ने इस पर नॉन सीरियस तरीके से अपनी बातों को नहीं रखा। मैं हृदय से अर्जुन भाई का भी आभारी हूँ कि बहुत बातें उन्होंने जिस रूप में रखीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह दर्द सबका है, मेरा दर्द नहीं है। कई बार सड़क पर पड़े हुए लोग, माँ-बाप और बच्चे कई बार भूखे दिखते हैं तो घर पर आकर खाना खाने का मन नहीं करता। इस खाई को पाटना होगा, उन गरीब आदमियों के दिलों को छूना होगा। उनको दिखाना होगा कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इससे हमारी छवि भी बदलेगी। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जो मंत्री जी चाहें, जो वह कहेंगे मैं कह दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी कुछ तो कह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

श्री पी.बलराम नायक : सभापति जी, यहाँ बहुत सारे अच्छे सुझाव दिए गए हैं, मैं उन सुझावों की रिस्पैक्ट करता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, अग्रवाल जी ने इतनी तबीयत से इस बिल को रखा है और यदि मंत्री जी इनसे कहेंगे कि इसे वापस ले लो, तो इनको चोट पहुँचेगी। इनको ही नहीं, बल्कि जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं, उन सबको चोट पहुँचेगी। इसलिए मंत्री जी से मेरा इतना ही कहना है कि सीधा मना करने की जगह इसमें से कुछ रास्ता निकालिए।

श्री पी.बलराम नायक : सभापति जी, अग्रवाल जी इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। मैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखकर ज़रूर कुछ करूँगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, इस सदन की जो परिपाटी है उसे सरकार तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस बिल को वापस लेता हूँ। लेकिन यह आशा करता हूँ कि ये बहुत ध्यान रखेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member Shri J.P. Agarwal leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.